क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

मांकः राप्रनिम/क्षे.का.उ./स्था/निविदा संख्या. 02/2024–25/1694 दिनांक 14/10/24

-: खुली निविदा सूचना सं. 02/2024-25

UBN No.

इस कार्यालय के अंतर्गतवित्तीय वर्ष 2024–25 की अवधि के लिये अनुबंध के आधार पर **मानव संसाधन सेवाऐं** उपलब्ध करवाने हेतु अनुभवी बोलीदाता/सवेंदक जी.एस.टी. पंजीकृत संस्थाओं से डबल कवर सिस्टम के अंतर्गत मुहरबन्द निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	निविदा बेचने की अवधि	निविदा खोले जाने की तिथि
1	वैज्ञानिक सहायक	9.80/–लाख रू. लगभग	500/–रू.	14.10.2024 से 18.10.2024 (कार्यालय समय)	21.10.2024 अपरान्ह 02:00 बजे
2	क्षैत्र सहायक(फिल्ड असिस्टेन्टस)				
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन				
4	प्रयोगशाला सहायक				
5	सिक्यूरिटी मैन(एच.ए.सी.एल.बिछडी प्लान्ट हेतु)				
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
7	बागवान (अंशकालिन)				
8	सफाई कर्मी (अशकालिन)				

उपरोक्त निविदायें दिनांक 14.10.2024 से 18.10.2024 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 से सांयः 06:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 18.10.2024 सांय 6:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट **http:/www.rpcb.rajasthan.gov.in** एवं **sppp.rajasthan.gov.in** पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है। निविदा शुल्क की राशि नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट **(सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय उदयपुर)** द्वारा जमा कराई जा सकती हैं जिसकी रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट (मूल) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी एवं प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन **प्रतिभूति 2.5%**)कार्य की अनुमानित लागत का के लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक कार्य की अनुमानित लागत का ही स्वीकार किये जायेंगे जो कि **REGIONAL OFFICER RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD PAYBLE AT UDAIPUR** के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Shashi Saksena
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2024.10.14 16:32:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11122269

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

—: तकनीकी बोली प्रपत्र:—

-: खुली निविदा सूचना सं. 02/2024-25
(लिफाफा न0 1)

- संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर की बोली सूचना संख्या– ....दिनांक........................
- बोलदाता/संवेदक का नाम :–...
- डाक का पता :–...
  ....
- फोन/मोबाईल नं. :–...
- ई–मेल :–...
- बैंक का नाम :–...
  आईएफसी कोड :–...
  खाता संख्या :–...
- किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर
- बोली शुल्क रूपये : (1) 500/–रू. (पॉच सौ मात्र)
  (2) जमा रसीद संख्या.................दिनांक.......
  डीडी कमांक............................दिनांक............
  राशि.....................**(डी.डी.सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय उदयपुर (PAYABLE AT UDAIPUR) के पक्ष मे देय होगा।)**
- बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते स्वीकार है, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
- संलग्न प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर दी गई है।
- संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
- बोली प्रतिभूति राशिके रूप में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक **क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर** के पक्ष में देय साथ संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं.......................................

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

-: खुली निविदा सूचना सं. 02/2024-25
(लिफाफा न0 1)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

क0 स0	तकनीकी दस्तावेज विवरण	संलग्न है या नही (हां/नही)	संलग्नक कमांक	टिप्पणी यदि कोई हो तो
1	बोली प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये गये है।			
2	बोली शुल्क राशि रूपये 500/-नकद रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **Member Secretary Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur** के पक्ष में संलग्न है।			
3	बोली प्रतिभूति राशि 2.5 प्रतिशतके रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि**Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Payble at Udaipur**के नाम से संलग्न है।			
4	जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण पत्र (GST)			
5	पैन कार्ड की प्रति (PAN Card)			
6	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नही होने संबंधी 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र			
7	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)			
8	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (EPF)			
9	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI)			
10	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत			
11	प्रमाणित बैंक खाता पास बुक/स्टेटमेन्ट की छाया प्रति।			
12	पूर्व या वर्तमान में आप द्वारा जिन संस्थानों (न्यूनतम 1 वर्ष हो) में कार्य किया गया उनकी सूची (अनुभव प्रमाण आवश्यक रूप से संलग्न करे।) केवल कार्यालय-आदेश मान्य नही होगा।			
13	फर्म होने की दशा में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र।			
14	निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट/छांट या उपरिलेखन नही हो।			
15	Private Security Agency Regulation Act 2005 (PSARA) के तहत पंजीयन **(सिक्यूरिटी मेन हेतु)**			
16	Annexure A, B, C & D			

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- बोलीदाता/संवेदक द्वारा किसी केन्द्र/राज्य/स्वायत्त संस्थाऐ/निगम/मण्डल/समिति/आयोग में कम्युटर प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी) का कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका निम्नलिखित विवरणनुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजो की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्केन कर बोली दस्तावेजा (प्रपत्र 1)के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- निविदा खोलने कीदिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होना/कार्यालय परिस्थिति के आधार पर निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी ।
- राज्य में दिनांक 26–01–2013 से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील हैं। अतः इस निविदा पर इस अधिनियम व नियम के सभी नवीनतम प्रावधान प्रभावशील होगें ।
- संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से वित्तिय वर्ष 2024–2025 की समाप्ति तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
- बोली निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अनुबन्धित कार्मिकों की संख्या को कार्यालय आवश्यकता अनुसार घटाया/बढाया जा सकता है एवं बोलीदाता/संवेदक को उक्त कार्मिक निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध करवाने होगे।
- समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र, जिला उदयपुर (राजस्थान) होगा ।
- पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
- मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर द्वारा जारी की गई खुली बोली निविदा सूचना कमांक 02/2024–2025 दिनांक 14.10.2024 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

General Terms & Condition of Bid &Contract :

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

- राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
- निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर " **,कम्प्युटर ओपरेटर हायर किये जाने हेतुनिविदा, फील्ड असिस्टेण्ड हायर किये जाने हेतुनिविदा, प्रयोगशाला सहायक हायर किये जाने हेतुनिविदा एवं कार्यालय हेतु सिक्यूरिटी मैनहायर किये जाने हेतुनिविदा, मालीहायर किये जाने हेतुनिविदा,एच.ए. सी.एल. बिछडी हेतु सिक्यूरिटी मैन हायर किये जाने हेतुनिविदा'ड्राईवरहायर किये जाने हेतुनिविदा, वैज्ञानिक सहायक हायर किये जाने हेतुनिविदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हायर किये जाने हेतुनिविदासफाई कर्मीहायर किये जाने हेतुनिविदा'** अलग अलग लिफाफो मेंअंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उदयपुर " एफ 470 मादडी इण्डस्टीज एरिया उदयपुरको सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
- निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
- निविदा फॉर्म के साथ निविदा शुल्क राशि रूपये 500/– नगद अथवा **सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय उदयपुर (PAYABLE AT UDAIPUR)** के पक्ष में अनुसूचित बैंकमेंदेय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ भी निविदा शुल्क देय होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
- अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
- विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता/संवेदक का होगा।

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

2126 हस्ताक्षर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजूदरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु Helplineनम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा।
- राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर **(GST)** के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/ दायित्वो के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे। उक्त की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों एवं दायित्वों के लिए निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता ही जिम्मेदार होगा।
- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।
- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, पुलिस वेरिफिकेशन, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस. आईकरवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debarकरने की कार्यवाही करेगी।
- यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
- कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्यामें वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
- उक्त पदों की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा आपेक्षित है। किसी कारण से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर निविदाएँ समाप्त (आंशिक अथवा पूर्ण) करने की शक्ति अधोहस्ताक्षर कर्ता में निहित होगी।
- सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के कम में अति. महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्यां में कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
- अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोकम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
- इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमत इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
- बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथी से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

2126 क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
- बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
- क्षेत्रीय कार्यालय में सविंदा पर कार्मिक उपलब्ध कराने एवं निविदा परीक्षण पश्चात निविदा को जारी रखने एवं समाप्त किये जाने सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्णय क्षेत्रीय अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगें।
- अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
- ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्यसम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा। किसी शिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियो को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के बिल से काट लिया जावेगा एवं 07 दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देषो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, उदयपुर** को होगा।
- निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिको को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना पहनना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियो हेतु निविदादाता स्वयं उतरदायी होगा।
- ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदाकर्मियां की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी पर आने जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए मण्डल उतरदायी नही होगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
- कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, ध्रुमपान–गुटका–पान–शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेगें।
- सफल निविदादाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार मे दोषी पाये गये कार्मिको को नहीं रखा जायेगा।
- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ठेकेदार के संविदा पर लगे कर्मचारियो के बिलो के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी कर्मचारियो को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। कर्मचारियो को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा। देरी से भुगतान करने पर 500/– प्रतिदिन के हिसाब से क्षेत्रीय कार्यालय में शास्ति पैनेल्टी की राशि जमा करवानी होगी।

2126 दिनांक
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- कर्मचारी के कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा तथा ठेकेदार से पेनेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान काटा जायेगा।
- अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व कर्मचारियो को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस निविदा से हटाया जा सकता है उसकी समस्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओ में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर को होगा।
- **न्यूनतम निविदा दरे एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में :–**
  न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरो की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता, Annual Turnover, स्थानीय परिस्थितियों, कार्य अनुभव आदि को मद्देनजर रखते हुए उपापन समिति की सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नही होगा और न ही क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी।
- निविदादाता द्वारा स्वस्थ एवं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का निविदादाता द्वारा नियोजन नही किया जायेगा।
- सशर्त निविदाएं स्वीकार नही होगी।
- निविदादाता स्वयं /उसके द्वारा लगाये गये कार्मिको के संबंध में समस्त कानूनी दायित्व/श्रम कानून के पालना की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।
- किसी भी विवाद के समय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर का निर्णय अंतिम होगा, जो पूर्णतया मान्य एवं मंजूर होगा।
- उपर्युक्त शर्तो में किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्तो को जोडने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, उदयपुर को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
- ***मूल्यांकन की कसौटी–बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।***
- बोली का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
- करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की **2.5 (दो दशमलव पॉच प्रतिशत)** प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में ड़िमान्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के लिये डिमाण्ड ड्राफट/ बैंकर चैक ही स्वीकार किये जायेंगे जो कि **REGIONAL OFFICER RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD PAYBLE AT UDAIPUR** के नाम से प्रस्तुत करना होगाके नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा मे बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मे समायोजित की जा सकती है या लोटाई जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पुनः रकम की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति राशि दे देता है ।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):–**

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि का पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

- भुगतानः–

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस मे प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान मे होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। नियमानुसार आयकर एवं GST कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।

परिनिर्धारित क्षतिः– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिककिन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए–5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तुविहित सुपुर्दगी के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए–7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए–10%

(ड) विलम्ब कि अवधि में एक चौथाई से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तार्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय न कि सप्लाई करने पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

- बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है :–**क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल,**

E-mail:- rorpcbudaipur@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं......................................

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

1. **कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:–**

(i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विडोंज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।

(ii)कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

(iii) कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

➢ **मशीनों का विवरण:–** निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।

(i) Computer-Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15" Monitor/TFT or biggar 10/1001000Mbps Lan card, cd/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

(ii) Printer:-Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(iii) UPS:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.

➢ यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।

➢ कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेंगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

➢ कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017Dated30-04-2018 के अनुरूप होगी।

➢ यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन 300/– की कटौती की जावेगी।

➢ यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

➢ कार्यालय में कार्य की आवश्कयता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेंगा।

➢ कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवााना अनिवार्य होगा।

➢ कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।

➢ निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्तामें निहित होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं.....................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

➢ क्षैत्र सहायक (Field Assistant) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तेः–

कार्य का नाम–भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता जांच कार्यक्रम (ए.एन.पी.) के अन्तर्गत उदयपुर में स्थापित तीन वायु गुणवत्ता जांच केन्द्रों के संचालन हेतु सहायक उपलब्ध करवाना (कुल संख्या 3)

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजना (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरणः–

उदयपुर शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित हैः–

क्र.सं.	प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) का नाम	क्षेत्रीयप्रयोगशाला का नाम व पता जहां नमूने जमा कराने हैं।
1	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल , उदयपुर (राज.)	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण उदयपुर (राज.)
2	टाउन हाल उदयपुर(राज.)	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल उदयपुर (राज.)
3	सैटेलाइट हॉस्पिटल उदयपुर (राज.)	क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल उदयपुर (राज.)

➢ परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र पर तकनीकी सहायक/कर्मी से केन्द्र पर लिये जाने कार्य अपेक्षित कार्यः–

अ. कार्य का विवरणः–राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के राष्ट्रीय परिवेषीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) उदयपुर स्थित तीन (03) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन (व्वतंजपवद व त्मेचपतंइसम क्नेज"उचसमत च्ड.10 एवं च्ड 2ण्5"उचसमत) सुरक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety & Security) क्षेत्रीय प्रयोगषाला से डाटा शीट, फिल्टर पेपर एवं एबजोर्बिंग सोलूशन आदि प्रत्येक मॉनिटरिंग हेतु प्राप्त करना, वायु नमूनों का संग्रहण (Colletion of Air Quality Monitoring Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला उदयपुर शीघ्रता शीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना।

ब.परियोजना अंतर्गत स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी वृद्वि की जा सकती है।

स. निर्धारित स्टेशनों पर मंडल द्वारा उपलब्ध कराई मशीन का सुचारू रूप से संचालन (Operation of Equipments)

द. प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) एक सप्ताह में दो दिवस के अंतराल पर 24 घंटे चलाया जायेगा।

य. वाछिंत कार्य संपादन के लिये 8 घंटे प्रति पारी (6:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम. 2:00 पी.एमः से 10:00पी.एम. तक एवं 10:00 पी.एम. से 6:00 ए.एम.) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक नियुक्त किया जायेगा।

- ➢ आपात स्थिति एवं प्रत्येक दिपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्द्रों पर दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी सहकार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
- ➢ क्षेत्र सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर बोलीदाता/संवेदक पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का बोलीदाता/संबेदक द्वारा तुरंत निराकरण करना होगा।
- निविदादाता को भरतपुर शहर के संपूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Station) पर कार्य संपादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- राष्ट्रीय परिवेशीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अंतर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Quality Monitoring) आंकडा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित क्षैत्रीय प्रयोगशाला का परिवहन (लाना एवं ले जाना) के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य सचांलन (Handing of Monitoring Work) संपादन हेतु मशीन उपस्कर/उपकरण रसायन कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment Supply of Absorbing Solution Filter Paper) आदि मंडल प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये जायेगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत(Servicing and Repairing) सर्विस आदि की जिम्मेदारी मंडल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन के रूकावट पर तुरंत मंडल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि बोलीदाता/संवेदक या उसके क्षेत्र सहायक की लापरवाही से मशीन से खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आंकडा प्रतिवेदन आंकडा संग्रह आदि को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी तथा मंडल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे क्षेत्र सहायक उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
- संवेदक द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्र सहायकों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
- क्षेत्र सहायक के अनुपस्थित होन पर प्रबेाधन कार्य संचालन सुचारू रखने हेतु निविदादाता द्वारा किसी अन्य क्षेत्र सहायक की व्यवस्था आवशयक रूप से की जायेगी।
- संवेदक या उसके क्षेत्र सहायक द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन प्रयोगशाला प्रभारी अथवा अन्य नामित अधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आंकडा प्रतिवेदन (Collected Sample Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा एवं नमूना एकत्रीकरण हेतु फिल्टर एवं अन्य विलियन प्राप्त किये जायेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

मोबाईल नं....................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
राजस्थान राज्य प्रदूषण उदयपुर (राज.)

➢ प्रयोगशाला परिचारक / सहायक हेतु शर्ते :-

➢ (i) प्रयोगशाला परिचारक / सहायक स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।
(ii) प्रयोगशाला परिचारक / सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी (PCM) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
(iii) प्रयोगशाला परिचारक / सहायक 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

➢ किसी भी प्रयोगशाला परिचारक / सहायक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक / सहायक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।

➢ निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।

➢ निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक / सहायक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

➢ प्रयोगशाला परिचारक / सहायक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दूर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।

➢ ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।

➢ प्रयोगशाला परिचारक / सहायक का कार्य कुशल न होने , अनुशासन में नहीं रहने , लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।

➢ उपलब्ध कराये गये प्रयोगशाला परिचारक / सहायक के फोटो पहचान पत्र तथा उच्च माध्यमिक / सीनियर सैकण्डरी पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

➢ सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

➢ निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।

➢ किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम उदयपुर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

➢ सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र , उदयपुर न्यायालय ही रहेगा।

➢ नियमानुसार कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।

➢ किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।

➢ किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

➢ प्रयोगशाला परिचारक / सहायक घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

➢ राज्ज सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक / सहायक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों /नियम निविदाता को मान्य होगे।

➢ प्रयोगशाला परिचारक / सहायक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

मोबाईल नं....................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

1. **वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के अपेक्षित कार्य :–**

परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधत कार्यक्रम (NAMP-2014) के कुशल संचालन वायु नमूना संग्रहण, संबंधित फिल्ड डाटा शीट सहित विभिन्न कार्यो यथा विश्लेषण, इत्यादि में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यो का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।

2. वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

स्नातकोत्तर (पर्यावरण/रसायन विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है अथवा केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल/राज्य मण्डल के सेवानिवृत कार्मिक जिनकों प्रयोगशाला में अधिकारी के रूप में कार्य करने का उचित अनुभव है। वर्तमान में क्षेत्र सहायक की आवश्यकता–01 है। (भविष्य में बढोतरी की जा सकती है।)

3. शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।

4. मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शासित अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्ते :–

- बोली को उदयपुर शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) वर्तमान संख्या 03 पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य प्रयोगशाला कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने/करने का न्यूनतम एक वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली पर विचार नही किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नही किया जायेगा।

2124 प्रदूषण
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- राज्य मण्डल के सदस्य सचिव एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे–खर्चे की मांग नही कर सकेगा एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्या या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को होगा।
- विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीयों को बिना कारण बताते अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- बोली के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- परिवेशीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकडा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर बढाया जा सकता है।
- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work) सम्पादन हेतु मशीन, उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, supply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकडा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।

- ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यो के विवरण में दिये गये कर्यो को करते समय आदि किसी की मृत्यु हो जाती या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता हैं या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहनन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- ठेकेदार प्रतिमाह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी या समकक्ष अधिकारी या समकक्ष से मासिक प्रमाणित उपस्थिति के साथ बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर आर्बिट्रेटर होगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

2124 प्रमेय नं
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु शर्तेः–

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
- निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
- निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दूर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
- ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने , अनुशासन में नहीं रहने , लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
- उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र एवं 8वीं पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
- किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम उदयपुर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
- सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र , उदयपुर न्यायालय ही रहेगा।
- नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
- किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- राज सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों /नियम निविदादाता को मान्य होगे।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

मोबाईल नं......................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

➢ सफाई कर्मचारी हेतु शर्ते :–

- शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर कर्मियों का सामान्यः अवकाश रहेगा, परन्तु आवश्यकता होने पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सेवाएं देनी होगी। उपरोक्त दिवसों पर कार्य से इन्कार करने पर तीस दिन का महीना मानते हुए देय बिल में से अनुपातिक रूप से कटोती की जायेगी।
- निविदादाता द्वारा सफाई एवं बागवानी कार्य हेतु प्रातःकाल (प्रातः 8:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक) सफाईकर्मी प्रातः एवं दोपहर दो बार प्रति दिन लगाने होंगें। आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त सफाईकर्मी सामान्य शर्तो के साथ उपलब्ध कराने होंगे। यह व्यवस्था सप्ताह में 5 दिवस (.शनिवार, रविवार को छोडकर) रहेगी।
- सफाई कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार की सामग्री यथाः फिनॉयल, टोयलेट क्लीनर, नेफ्थलीन गोली, डिटरजेन्ट, विम पाउण्डर, एसिड, तरल साबुन, आदि सामान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। आवर्ती सूची के अनुसार निर्धारित स्थानों पर इनका उपयोग करना होगा।
- झाडू, गेती, फावडा, इत्यादि आवश्यक सामान की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जायेगी।
- निविदाकार अपने कार्यालय या निवास का पूर्ण पता, फोन नः व मोबाइल नंबर अंकित करेगा जहॉ उससे सम्पर्क किया जा सकें। यदि कार्य स्थल पर समुचित समय पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर सूचित करेगा जिससे इस प्रयोजन हेतू सम्पर्क किया जा सके।
- कार्यो का संपादन एवं साजों सामान का उपयोग क्षेत्रीय कार्यालय राप्रनिम, उदयपुरकी दृष्टि से संतोषजनक ढंग से होना चाहिए। संवेदक को संपूर्ण परिसर को स्वच्छ रखना होगा।
- निर्धारित समय पर या निर्धारित गुणवता के अनुरूप कार्य न पाये जाने पर अथवा विभाग को आवश्यकता न होने पर अनुबन्ध को समय पूर्व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राप्रनिम, उदयपुरको होगा।
- सम्पादित किये जाने वाला कार्य का, संलग्न आवर्ती चार्ट के अनुसार सम्पादित करने के पश्चात संबंधित अधिकारी / सफाई प्रभारी द्वारा निरीक्षण करवाना होगा, एवं कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार पुनः कार्य सम्पादित करना होगा, जिसके लिये विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- आवर्ती चार्ट के अनुसार कार्य न करने, असंतोष ढंग से करने एवं अधूरा छोडने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित पेनल्टी की कटौती निविदादाता/ फर्म को देय राशि में से की जायेगी। इसके अलावा अधूरे एवं असंतोषजनक कार्य को विभाग द्वारा स्वयं या अन्य संस्था के द्वारा करवाने पर हुए हर्जे–खर्चे की ठेकेदार से वसूलीं की जायेगी।
- आवर्ती चार्ट के अलावा भी अन्य किसी प्रकार की गंदगी हो जाने पर तुरन्त सफाई करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा तथा भवन को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होंगी।
- सफाईकर्मी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाईकर्मी जो भी उपस्थित हो, तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
- **कार्य का विवरणः–** क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुरके सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिये अनुबन्ध

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

सफाई कार्य का आवृति चार्टः–

क.सं.	कार्य का विवरण	आवृति	निरीक्षण करने एवं प्राप्त शिकायत के आधार पर सफाई कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आरोपित की जाने वाली शास्ति की राशि	अन्य विवरण
1.	कार्यालय परिसर के सभी बरामदो, सभी कमरों की सफाई का कार्य करना जिसमें झाड़ू, पौछा, जाला हटाने, फर्नीचर डस्टिंग का कार्य, सम्मिलित है।	प्रतिदिन	रू. 50 / –प्रतिदिन	
2.	कार्यालय परिसर के सभी बरामदो, कमरों पोर्च, लॉबी में फिनायल का पौछा लगाना एवं सफाई का कार्य।	प्रतिदिन दो बार	रू. 100 / –प्रतिदिन	
3.	कार्यालय परिसर में पार्किंग स्थल, खुला स्थल एवं सडकें इत्यादि।	प्रतिदिन	रू. 200 / –प्रतिदिन	
4.	शौचालय की सम्पूर्ण सफाई व धुलाई (डिटरजेंट, लिक्विड टोयलेट क्लीनर, फिनायल तथा तेजाब इत्यादि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।	प्रतिदिन दो बार	रू. 100 / –प्रतिदिन	
5.	सम्पूर्ण परिसर के समस्त कचरे को एकत्रित कर भवन के बाहर निर्धारित स्थान पर डालना व जलाना।	प्रतिदिन दो बार	रू. 200 / –प्रतिदिन	
6.	परिसर के सभी कमरों, मीटिंग कक्ष, हॉल, शौचालयों में बेगोन / फिनिट व अन्य स्वीकृत कीटनाशकों का छिडक व मच्छरों को खत्म करना।	साप्ताहिक एवं आवश्यकता होने पर	रू. 100 / –प्रति सप्ताह	
7.	भवन परिसर की छत एवं छज्जों आदि की झाड़ू से सफाई का कार्य व ड्रेन पाईपों को साफ करना।	प्रति सप्ताह	रू. 200 / –प्रतिमाह	

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदा दाता का नामः...
2. मोबाइल नम्बरः...
3. Mail ID :- ....
4. डाक का पताः...
....
5. टेलीफोन नम्बर (दुकान) ....

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल क्षैत्रीय कार्यालय उदयपुर में सिक्यूरिटी मैन हेतु नियम एवं शर्तेः–

1. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफापे में बन्द करना होगा। लिफापे पर क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उदयपुर " एफ 470 मादडी इण्डस्टीज एरिया उदयपुरको सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
4. दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होना चाहिये
5. निविदा फर्म के साथ अमानत राशि नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यह **राशि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल देय उदयपुर** के पक्ष में शिड्यू बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी।
6. अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को अमानत राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद लौटाई जायेगी।
7. अमानत राशि का समपहरणः अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा।
8. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
9. निविदा शुल्क एवं बयाना राशी के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
11. जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता हो।

1. जब वह विहित समय के भीतर आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।
2. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।
3. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सिक्यूरिटी मैन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
5. सिक्यूरिटी मैन को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।
6. किसी भी सिक्यूरिटी मैन के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा जुर्माना देय होगा।
7. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी। जिसमें सिक्यूरिटी मैन को प्रोविडेन्ट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होगें।
8. सिक्यूरिटी मैन को निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेंच लगाना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी को वंर्दी, टार्च, सीटी एवं डंडा (4 फिट) का निविदादाता स्वयं को उपलब्ध करायेगा अन्यथा प्रतिदिन रू. 50/– प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।
9. यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
10. निविदादाता के सिक्यूरिटी मैन की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
11. सिक्यूरिटी मैन के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
12. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना, अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
13. सिक्यूरिटी मैन का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पडेगा।
14. कोई भी सिक्यूरिटी मैन दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज संभालाने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

15. यदि किसी कारणवश कोई सिक्यूरिटी मैन ड्यूटी पर नहीं आ सके तो उसके एवज में दूसरा सिक्यूरिटी मैन निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।
16. उपलब्ध कराये गये सिक्यूरिटी मैन का पुलिस वेरीफिकेशन क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर को प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।
17. निविदादाता को श्रम नियमों के अनुसार प्रत्येक माह भुगतान करना होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
18. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी स्टॉफ कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
19. सिक्यूरिटी मैन जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे राजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
20. बिल का भुगतान प्रतिमाह किया जाएगा जिसके साथ सम्बन्धित विभाग में लगाये गये गार्ड व उपस्थित व बिल विभाग के अधिकारी/प्रभारी से प्रमाणित करा कर निविदादाता को देनी होगी।
21. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को Sublet नहीं करेगा।
22. निविदादाता द्वारा सिक्यूरिटी मैन की दरें श्रम विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप ही प्रस्तुत की जानी है।
23. न्यूनतम मजदूरी दरों में राज्य सरकार/श्रम विभाग द्वारा परिवर्तित/संशोधित दरें प्रभावी होगी।
24. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा।
25. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस. आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कर लगाया जाता है तो उसकी अदाय निविदादाता को ही करनी होगी।
27. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये गये सिक्यूरिटी मैन को न्यूनतम भुगतान की रसीद की छाया प्रति हर माह मण्डल में प्रस्तुत करनी होगी।
28. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम उदयपुर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
29. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, उदयपुर न्यायालय ही रहेगा।
30. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
31. दर निरन्तर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रतिमाह की दी जावे जिससे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होंगे।
32. सिक्यूरिटी मैन के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
33. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
34. निविदादाता द्वारा इस कार्यालय को नियमित रूप से मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा। सिक्यूरिटी मैन को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा
35. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
36. निविदादाता को सिक्यूरिटी मैन सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
37. निविदा अवधि घटाने व बढाने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
38. सिक्यूरिटी मैन घटाने बढाने का अधिकार अधोहस्तारक्षकर्ता का होगा।
39. राज्य सरकार द्वारा सिक्यूरिटी मैन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशो/नियम निविदाता को मान्य होगे।
40. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

41. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helplingनम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
42. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
43. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
44. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
45. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
46. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debarकराने की कार्यवाही की जायेगी।
47. ठेकेदार को नियमानुसार नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा जमानत के रूप में ठेके की वार्षिक राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशी के रूप में इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों में जमा करना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। स्वीकृत निविदादाता अपनी जमा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जावेगी । अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यदि संविदा के किन्ही उपबंधो या शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड (Penalty) का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जावेगी।
48. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
49. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर 2 लाख (अक्षरे दो लाख रूपये मात्र) से अधिक होना चाहिए टर्नओवर से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

–: बागवान (अंशकालीन) की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्ते :–

1. बागवान जो कि श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की कुशल कर्मचारी श्रेणी के अन्तर्गत आता है, इस कार्य की प्रकृति इस कार्यालय में अंशकालिक प्रतिदिन 04 घण्टे से कम होने के कारण श्रम विभाग राजस्थान सरकार की कुशल कर्मचारी श्रेणी केन्यूनतम वेतन 7358/– से आधी दर 3679/– पर ही प्रति कर्मचारी प्रति माह वेतन का भुगतान किया जाएगा एंव 01 (एक) दिन के वेतन की गणना प्रति कर्मचारी रुपए 141/– के आधार पर की जाएगी।
2. **बागवानी कार्य का विवरण :–**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर के बाग की नियमित रुप से साफ सफाई करना।
   - क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर के परिसर में एंव परिसर के बाहर स्थित पेड–पौधों एंव गमलों में रोजाना पानी देना।
   - कार्यालय परिसर एंव इसके बाहर स्थित पेड–पौधों, घास इत्यादि की नियमित रुप से छंटाई।
   - कार्यालय परिसर एंव इसके बाहर स्थित पेड–पौधों, घास इत्यादि को निर्धारित आवृति अनुसार खाद एंव उर्वरक देना।
   - कार्यालय परिसर एंव इसके बाहर स्थित पेड–पौधों, घास इत्यादि से खरपतवार को हटाना।
   - कार्यालय परिसर एंव इसके बाहर स्थित फूलों की क्यारियों की भी नियमित रुप से देखभाल करना।
   - बागवानी सम्बन्धी अन्य कोई जो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया जाए।
3. **शर्ते :–**
   - संस्था/संवेदक द्वारा बागवान के रुप में कार्य करने वाले श्रमिक को बागवानी कार्य हेतु काम आने वाले सभी उपकरण उपलब्ध करवाये जाएंगे।
   - बागवान के रुप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कार्यालय में देना होगा।
   - रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर कर्मियों का सामान्य: अवकाश रहेगा, परन्तु आवश्यकता होने पर बिना अतिरिक्त भुगतान के सेवाएं देनी होगी। उपरोक्त दिवसों पर कार्य से इन्कार करने पर तीस दिन का महीना मानते हुए देय बिल में से अनुपातिक रुप से कटोती की जाएगी।
   - बागवानी कार्य हेतु प्रात: काल (प्रात: 7.30 बजे से 12.00 बजे एंव दोपहर 3 से 6 बजे तक। यह व्यवस्था सप्ताह में 6 दिवस (रविवार को छोडकर) रहेगी।
   - असंतोष ढंग से करने एवं अधूरा छोडने की स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित पेनल्टी की कटौती निविदादाता फर्म को देय राशि में से कर ली जायेगी। इसके अलावा अधूरे एवं असंतोषजनक कार्य को विभाग द्वारा स्वयं या अन्य संस्था के द्वारा करवाने पर हुए हर्जे–खर्चे की ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
   - बागवान के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य बागवान तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। बागवान अवकाश पर जाने पर निविदादाता द्वारा लगाये गये नये बागवान के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण कार्यालय में देना होगा।
   - बागवान के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक शारिरीक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग अक्षम श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
   - बागवान के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के पारिश्रमिक का भुगतान ठेकेदार के द्वारा किया जायेगा व श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
   - बागवान के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मद्यपान व धुमपान आदि का सेवन वर्जित है। मद्यपान व धुमपान आदि करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

- बागवान के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसूली का पर्णू अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर को होगा।
- बागवान को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान की देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।

4. बागवान कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत् इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए बागवान की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012 RTPPR 2013 एवं GF&AR में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेंगी।
5. कार्यालय द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मो में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरो को स्वीकार नही किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to...for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated............................... I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:.....................

Signature of bidder

Palace:..................

Name:...

Designation:.................................

Address:.....................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………

of…………………………………………………………………………………………………..

Before the ……………………………………………………………………………… (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………

Place:………………

Date:……………….

Appellant's Signature

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month

from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

(लिफाफा न0 1)

(नोटेरी द्वारा सत्यापित 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्ट्रर्ड है वास्तव में बोली मे चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नही है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रुप में समपह्वत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय मोहर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

प्राईस शिड्यूल (वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (दो) प्रयोगशाला सहायक (दो), सिक्यूरिटी मैन (नौ), सफाईकर्मी (1), चतुर्थश्रेणी कर्मचारी (एक) एवं बागवान (एक)

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत रु. में	ESI दर 3.25 प्रतिशत रु. में	समग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रतिईकाई रू)	कुल राशि रू
1	2	3		4 संख्या	5	6	7	8	9	10 (5+6+7+8+9)
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	उच्च कुशल	9334	02	9334	1213.42	303.35			
2	प्रयोगशाला सहायक	कुशल	8034	02	8034	1044.42	261.10			
3	सिक्यूरिटी मैन	कुशल	9270	9	9270	1205.1	301.2			
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	7410	1	7410	963.3	240.82			
5	सफाईकर्मी, अंशकालिन	अर्दकुशल	3861	1	3861	501.93	125.48			
6	बागवान, अंशकालिन	कुशल	4017	1	4017	522.21	130.25			

- उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी। कॉलम 10 में कुल राशि (5+6+7+8+9) अंकित की जायेगी।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में देय राशि **न्यूनतम 01 (एक) रूपये** से कम नही भरी जावेगी। **राशि शुन्य (0) एवं ऋणात्मक (–) एवं 01 (एक) रूपये** से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम...
पता एवं मोबाईल नं.......................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

प्राईस शिड्यूल (वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम– वैज्ञानिक सहायक (एक) क्षेत्र सहायक (दो)

क. सं.	सेवा का नाम	CPCB द्वारा निर्धारित दर प्रति माह प्रति इकाई			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत रु. में	ESI दर 3.25 प्रतिशत रु. में	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रतिईकाई रू)	कुल राशि रू
1	2	3		4 संख्या	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
1	वैज्ञानिक सहायक	उच्च कुशल	18000	01	18000	2340	585		
2	क्षैत्र सहायक (Field Assistant)	उच्च कुशल	14700	02	14700	1911	477.75		

- क्रम संख्या 01 के लिए 26000/– तथा क्रम संख्या 02 के लिए 22000/– रूपयें अधिकतम कुल राशि CPCB द्वारा निर्धारित है। इससे अधिक राशि किसी भी रूप में देय नही है।
- उपयुक्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 08 एवं 09 में ही राशि अंकित की जाएगी तथा कॉलम 09 में कुल राशि (5+6+7+8) अंकित करने पर ही बिड स्वीकार्य होगी।
- संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में देय राशि **न्यूनतम 01 (एक) रूपये** से कम नही भरी जावेगी। **राशि शुन्य (0) एवं ऋणात्मक (–) एवं 01 (एक) रूपये** से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- भुगतान की दरें CPCB द्वारा समय समय पर होने वाले संशोधन पर आधारित होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम...